



बिहार सरकार
परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना ।

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें ।

पत्रांक- 4/STA-P3-232/2012 (पार्ट) परि०-1434/पटना, दिनांक- 18/2/19

सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार-झारखण्ड राज्य के विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्गों पर स्थायी परमिटों की स्वीकृति के निमित्त दिनांक-04.02.2019 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की सुनवाई हेतु राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार, पटना की बैठक दिनांक-01.03.2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में पुराना सचिवालय स्थित अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार-सह-सदस्य, राजस्व पर्वद बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में आयोजित की गयी है।

दिनांक-04.02.2019 तक प्राप्त सभी आवेदनों की समय-सारणी का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट <http://transport.bih.nic.in> पर दिनांक-20.02.2019 तक कर दिया जायेगा। यदि किसी वाहन स्वामी को समय सारणी पर आपत्ति हो तो वे अपनी लिखित आपत्ति नैसर्गिक न्याय के तहत शपथ पत्र, साक्ष्य एवं सरकार द्वारा निर्धारित आपत्ति शुल्क के साथ दिनांक-22.02.2019 के अपराह्न 4.00 बजे तक परिवहन विभाग के सिंगल विन्डो (एकल खिड़की) काउन्टर पर निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। उपर्युक्त निर्धारित शर्तों के विपरीत प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। निर्धारित समय-सीमा के उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।